



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली (राज.)

क्रमांक: प.22/संविदा अनु./2025/17

दिनांक: 06.02.2025

--: विज्ञप्ति ::--

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक :-एफ-7(136)/रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2025/65 दिनांक 04.02.2025 तथा राजस्थान सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08(1)विधि-2/विरसं(64)/2015 पार्ट II दिनांक 22.01.2025 के अनुसरण में वर्तमान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली में 04 एवं तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डौनसिटी/श्रीमहावीरजी/टोडाभीम में 01-01 इस प्रकार कुल 07 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरुद्ध जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली के कार्यालय हेतु 04 एवं तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डौनसिटी/श्रीमहावीरजी/टोडाभीम के कार्यालय हेतु 01-01 इस प्रकार कुल 07 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पूर्व में हो की कालावधि के लिए विपरित प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लिये जाने हेतु निम्न शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

शर्तें :-

01. उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी।
02. उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबंध पर सेवा के आधार पर होंगे।
03. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की पुनर्नियुक्ति किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगी।
04. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने हेतु इच्छुक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 12.02.2025 को सांय 05:00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जरिये डाक/ई-मेल dlsa25karauli@gmail.com पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

01. अंतिम भुगतान प्रमाण-पत्र (एल.पी.सी.) की स्वप्रमाणित प्रति
02. संलग्न प्रारूप में विभागाध्यक्ष द्वारा जारी मूल प्रमाण-पत्र

Handwritten Signature
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
करौली (राज.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली।
3. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
4. श्रीमान जिला कलक्टर, करौली को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु
5. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, करौली।
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, करौली को अखबार में प्रकाशन हेतु
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. नोटिस बोर्ड अदालत हाजा
9. आदेश/संबंधित पत्रावली

Moj
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
करौली (राज.))



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली (राज.)

॥ राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विपरित प्रतिनियुक्ति सेवाएं लेने के लिये आवेदन-पत्र ॥

1. कर्मचारी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. पूर्ण पता :
5. आयु (दिनांक 28.02.25 को) : वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :
7. मूल विभाग का नाम :
8. धारित पद :
9. अनुभव :
10. मूल वेतन
(रनिंग पे ब्रेण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न है) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र :

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती..... पुत्र/पत्नी..... जो पद पर विभाग में कार्य कर रहा है, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा है और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभयर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती मासिक मूल वेतन (रनिंग पे ब्रेण्ड वेतन+ग्रेड पे) आहरित कर रहा है/कर रही है और कि श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकी की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील